सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135– 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या– 612/रा0नि0आ0अनु0–2/4024/2022

देहरादूनः दिनांकः 01 सितम्बर, 2022(पूर्वाह्न)

अधिसूचना

सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अधिसूचना संख्या–677/xii(1) – 2022–84(09)/2019 दिनांक 31 अगस्त, 2022 के क्रम में मैं, चन्द्रशेखर भट्ट, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, **"भारत का संविधान"** के अनुच्छेद 243–ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निर्देश देता हूँ कि जनपद हरिद्वार के समस्त **06 विकास खण्डों** की समस्त **ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों एवं जिला पंचायत के सदस्यों** के निर्वाचन **एक चक्र** में निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय–सारिणी के अनुसार सम्पन्न कराये जायेंगेः–

नामांकन की तिथियां	नामांकन पत्रों की जांच की तिथियां	नाम वापसी हेतु तिथि	निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि	मतदान की तिथियां	मतगणना एवं परिणामों की घोषणा
1	2	3	4	5	6
06 सितम्बर, 2022 से 08 सितम्बर, 2022 तक (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	09 सितम्बर, 2022 से 11 सितम्बर, 2022 तक (पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	12 सितम्बर, 2022 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक)	13 सितम्बर, 2022 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	26 सितम्बर, 2022 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	28 सितम्बर, 2022 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

2. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), हरिद्वार जनपद की ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों तथा जिला पंचायत के सदस्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण (समस्त पदों/स्थानों के आरक्षण सहित) विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना **दिनांक 01.09.2022(अपराह्न)** को जारी कर उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करते हुये सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल प्रेषित करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), हरिद्वार द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया जायेगा और ग्राम पंचायतों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना–पटों पर भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किया जायेगा।

3. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), हरिद्वार की उपर्युक्त सूचना के अधीन सभी निर्वाचन अधिकारी सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों तथा जिला पंचायत के सदस्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का (समस्त पदों/स्थानों का आरक्षण सहित) पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सार्वजनिक सूचना नामांकन के प्रथम दिनांक से पूर्व निर्गत करेंगे और उसकी प्रति जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को तत्काल प्रेषित करेंगे।

क्रमश 2

4. सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशियों के, नाम–निर्देशन–पत्रों की बिक्री सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालयों पर तथा सदस्य जिला पंचायत के प्रत्याशियों के नाम–निर्देशन पत्रों की बिक्री जिला पंचायत मुख्यालय पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना जारी करने की तिथि से **(अर्थात् दिनांक 01.09.2022(अपराह्न) से दिनांक 07.09.2022 तक)** कार्यालय समय में तथा **दिनांक 08.09.2022** को **अपराह्न 3.00** बजे तक निर्वाचन अधिकारी / सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी।

5. यह निर्वाचन उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित) के अधीन रहते हुए उ0प्र0 पंचायत राज(सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) एवं उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन), नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) तथा **सदस्य ग्राम पंचायत एवं प्रधान ग्राम पंचायत हेतु रिट याचिका संख्या 2302(एम0 / एस0) / 2019 श्रीमती पिंकी देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2019 तथा सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत हेतु रिट याचिका संख्या 441(एम0 / एस0) / 2020 मो0 युनूस बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.09.2020** का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए इन निर्वाचनों में वही निर्वाचन–प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य क्षेत्र पंचायत (विकास खण्ड) मुख्यालय पर होगा। मतों की गणना क्षेत्र पंचायत (विकास खण्ड) के मुख्यालय पर की जायेगी तथा परिणाम भी क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर ही घोषित किया जायेगा।

6. सदस्य जिला पंचायत के सदस्यों हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य जिला पंचायत मुख्यालय पर होगा किन्तु मतों की गणना सम्बन्धित क्षेत्र पंचायतों के मुख्यालय पर होगी और निर्वाचन परिणाम जिला पंचायत मुख्यालय पर घोषित किये जायेंगे।

7. कोविड–19 के दृष्टिगत सामान्य निर्वाचन कार्य में लगे सभी अधिकारियों / कार्मिकों एवं मतदाताओं को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या– 612 / रा0नि0आ0अनु0–2 / 4024 / 2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। (ई.मेल)

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन भवन, नई दिल्ली।
5. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

क्रमश 3

8. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
11. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0), हरिद्वार।
13. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार।
14. मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0), हरिद्वार।
15. जिला पंचायत राज अधिकारी, हरिद्वार।
16. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, हरिद्वार।
17. सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, हरिद्वार।
18. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह इस अधिसूचना को सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने व आकाशवाणी/ दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।
19. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, फोटो लिथो प्रेस, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इसकी 10 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
20. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
21. सूचना–पट्ट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।